

अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 42 - DIRECT TAXES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,00
स्वीकृत-	Voted –	2844,98,00	2697,95,52	-147,02,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			113,14,03
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted –			
मूल	Original	1679,00,00		
		1679,01,00	1572,28,35	-106,72,65
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			103,84,45

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹2.00 लाख का विनियोग मुख्य शीर्ष “2020” - “आय और व्यय पर करों का संग्रहण” के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head “2020” – “Collection of Taxes on Income and Expenditure” and was eventually surrendered.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ :-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2020”	Major Head “2020”			
आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure			
मू.	O.	277386.00		
			266071.97	263050.26
पु.	R.	- 11314.03		-3021.71

(I) “संग्रहण प्रभार - आयकर - आयुक्त और उनके कार्यालय” के अंतर्गत ₹19216.15 लाख की बचत (₹269459.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अधिकारियों के कम विदेशी दौरे होने, किराया संशोधन मामला लंबित होने और रख-रखाव, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4604.34 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत “निदेशन और प्रशासन” के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मागों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) “अन्वेषण” - ₹354.66 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹310.10 लाख था।

(II) “अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन” - ₹3671.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3588.81 लाख था।

(III) “संगठन और प्रबंधन सेवाएं” - ₹578.68 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹548.50 लाख था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

(I) Under “Collection Charges - Income Tax - Commissioners and their offices” - saving of ₹19216.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹269459.75 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less foreign visits of officers, pending rent revision case and requirement of less funds towards maintenance and advertisement and publicity.

3. The above savings were partly (₹4604.34 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under “Direction and Administration”- under the following heads:-

(I) “Investigation” – ₹354.66 lakhs. Actual excess, however, was ₹310.10 lakhs.

(II) “Research, Statistics and Publication” – ₹3671.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3588.81 lakhs.

(III) “Organisation and Management Services”- ₹578.68 lakhs. Actual excess, however, was ₹548.50 lakhs.

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - expenditure
		(लाख रुपयों में) ((In lakhs of rupees)

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Outlay on Public Works			
मू.	O.	166300.00		
पु.	R.	-13314.20	152985.80	152722.54
मुख्य शीर्ष “4216” आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4216” Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	1500.00		
पू.	S.	1.00	4340.75	4340.75
पु.	R.	2839.75		..

(I) मुख्य शीर्ष “4059” - “कार्यालय भवन - अन्य व्यय-तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण” के अंतर्गत ₹13577.46 लाख की बचत (₹166300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों के खरीद संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2839.75 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2011 में मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी आवासीय भवन - आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹65.06 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 65 प्रतिशत था।

(I) Under Major Head “4059” – “Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation” - saving of ₹13577.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs,166300.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for purchase of properties.

5.(I) The above savings were partly (₹2839.75 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2011 under Major Head “4216” – “Government Residential Buildings – Residential Buildings for Income Tax Employees – Acquisition of Ready-built Flats”.

(II) Under one head excess of ₹65.06 lakhs occurred constituting 65 percent of the sanctioned provision.